



संख्या- 4183 / जी0एस0(शिक्षा) / A16-9 / 2023

प्रेषक,

रीना जोशी

कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय,

अल्मोड़ा।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 12 दिसम्बर, 2025

महोदय,

कृपया आपके द्वारा अस्थाई सम्बद्धता पोर्टल पर प्रस्ताव क्रमांक 230601013444, प्रस्ताव क्रमांक 240511013010 तथा प्रस्ताव क्रमांक 250102023546 के माध्यम से राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित निम्नलिखित प्रस्तावों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा-33(1) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :-

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	शैक्षिक सत्र एवं सीट संख्या प्रति सत्र	
		2023-24	2024-25 2025-26
राजकीय महाविद्यालय, दन्या, अल्मोड़ा।	बी0ए0-(हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र)	80 प्रति विषय	160 सीट
	बी0एससी0-(रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान व गणित)	20 प्रति विषय	20 प्रति विषय
	बी0एससी0-(रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान व वनस्पति विज्ञान)	20 प्रति विषय	20 प्रति विषय

(1) नियामक संस्था, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये। अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(2) यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीया,
Digitally signed by
REENA JOSHI
Date: 12-12-2025 (रीना जोशी)
11:30:35 कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या— 4183 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A16-9/2023 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
- ✓ 4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड/फाईल हेतु।

Digitally signed by आज़ा से,
Shri Laxman Ram Arya
Date: 12-12-2025
15:53:18
(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के उपसचिव।